

केस स्टडी

(श्रम नहीं शिक्षा अभियान में प्रस्तुत की गयी केस स्टडी)



उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक में रणखीला गाँव हैं, जहाँ 16 वर्षीय राहुल रहता है। राहुल के पिता वाहन चालक थे और 2012 में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उस समय राहुल की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। पिता की गंभीर रूप से चोट लगने के बाद से ही राहुल के परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया। परिवार में राहुल और उसके माता पिता सहित 6 लोग हैं। इसलिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तब से ही राहुल को घर का खर्च चलाने के लिए

मजदूरी करनी पड़ी। उसने गाँवों में लोगों के घरों पर मजदूरी करनी शुरू की एवं पत्थर ढोकर अपने परिवार का खर्च चलाया। राहुल अल्मोड़ा जिले में कार्य करने वाली अमन संस्था के संपर्क में आया तो संस्था द्वारा उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया गया और कक्षा पांचवी से संस्था उसके व उसके भाई बहनों का पढ़ाई खर्च उठा रही है। राहुल का कहना है कि इस मदद से वो अपनी पढ़ाई को तो सुचारु रख पाया किंतु छुट्टी के दिनों में परिवार चलाने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है।

वर्ष 2020 में उसकी माता मंजू देवी द्वारा ऋण लेकर घर में ही एक छोटी सी दुकान शुरू की है। इस दुकान को राहुल ही चला रहा है। राहुल के परिवार का पूरा खर्च इसी दुकान से चलता है। पिछले वर्ष 2020 में लॉक डाउन और इस वर्ष कोविड कर्फ्यू के दौरान उनकी दुकान का कार्य भी काफी प्रभावित हुआ है। राहुल का कहना है कि दुकान चलाने का यह काम उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे जरूरी हैं और उनके परिवार में उनके अलावा 5 भाई बहिन भी हैं। पिता के पांव में चोट होने के चलते वह काम करने में असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि वह कोरोना महामारी में बिलकुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके इतने पैसे नहीं होते कि वो लगातार अपने फोन को रिचार्ज भी नहीं कर सके। जैसे तैसे जिस महिने वह फोन रिचार्ज करते हैं वह उसी महिने पढ़ाई कर पाते हैं। राहुल अपनी पढ़ाई जारी रख एक सम्मानजनक रोजगार पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 10 प्रतिशत बच्चों के पास भी स्मार्ट फोन नहीं है। और बालश्रम करने के लिए परिवार की परिस्थिति जिम्मेदार होती है।





मनीष उत्तराखण्ड में पर्यटक नगरी नैनीताल के सूदूरवर्ती क्षेत्र ज्योलीकोट के स्यालीखेत गाँव में रहता है। मनीष के पिता दीवान सिंह एक कृषि व दैनिक मजदूर थे। जब मनीष बहुत छोटा था तभी उसकी माता का निधन हो गया। मनीष की माता के निधन के बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह राधिका देवी से किया। सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था और उसको पाँचवीं कक्षा के बाद पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। वह 10 वर्ष की उम्र से ही गाँवों में लोगों के घरों व खेतों में काम करने लगा। एक दिन मनीष के पिता उसे स्यालीखेत में एक रिसार्ट में ले गए और उसके वहाँ काम

करने के लिए छोड़ आए। अब मनीष रिसार्ट में छोटा-मोटा काम करने जिसका पैसा भी उसे नहीं मिलता था। रिसार्ट का मालिक उसके पैसे उसके पिता को ही दे देता था। इस तरह उसने दो साल तक रिसार्ट में काम किया। फिर वह अल्मोड़ा चला गया और वहाँ भी एक होटल में काम करने लगा।

होटल और रिसार्ट में रहकर उसने किचन व सफाई इत्यादि का काम सीखा और टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलना भी सीख गया। पिछले वर्ष लॉक डाऊन में होटल और व्यापार बंद होने के बाद वो अपने गाँव वापिस आ गया। मनीष के मन में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने का बड़ा मलाल था। किसी मित्र के सुझाव पर उसने अपने काम के साथ-साथ मुक्त वि"वविद्यालय से 10वीं की पढ़ाई शुरू की और पिछले लॉकडाऊन में उसने दसवीं की परीक्षा पास कर ली है।

मनीष का कहना है कि बाल मजदूरी के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। एक महिने पहिले ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गयी और वो परिवार का सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गयी है। वो आगे बताते है कि उसे या उसके परिवार को कभी भी सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाया जिससे वो बाल मजदूरी छोड़ पाता। बाल मजदूरी के कारण बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कभी नहीं चाहते कि उसके भाई-बहन किसी को भी बाल मजदूरी करनी पड़े।





दिपांजु, एक 16 वर्षीय किशोर है जो चमोली जिले के गैरसेढ़ ब्लॉक के सदूरवर्ती गाँव टेटूड़ा गाँव में रहता है। वह बारहवीं कक्षा में पढ़ता है। उसके परिवार में कुल पाँच सदस्य हैं। दिपांजु के पिता दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करते थे।

कोरोना महामारी के कारण उसके पिता का काम छूट गया और वो वापिस गाँव चले आये। पिताजी द्वारा भेजे गए पैसों से ही उनका परिवार चलता था। उसके बाद थोड़ा बहुत बचत एवं लोगों की उधारी से घर चल रहा था लेकिन धीरे-धीरे संकट बढ़ गया। जिसके कारण दिपांजु को काम करने का दबाव आ गया। हालांकि वह पहले भी टोकरियाँ बनाकर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठा रहा था। लेकिन अब परिवार में खाने-पीने का

भी संकट आ गया। दिपांजु ने बताया कि घर के संकट के साथ ही स्मार्टफोन नहीं होने के कारण वह ऑनलाईन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि बाहर कुछ मेहनत-मजदूरी करके घर में मदद भी की जाए और अपनी पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन भी खरीद सके। दिपांजु ने बताया कि स्मार्टफोन खरीदने के लिए पिछले 3-4 महिनों में लोगों के लिए नदी से बजरी व पत्थर ढोने का काम किया जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। वह आगे बताता है कि हमारे गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों का परम्परागत कार्य बांस/रिंगाल की टोकरियाँ बनाना। इस कार्य के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। यह हमारा परम्परागत रोजगार है वो भी मैं करता हूँ।

इन कार्यों को करने के कारण मुझे अपनी पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती है और मैं काफी थक भी जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चों को पढ़ने के लिए सभी सुविधायें मिले जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।



(बच्चे की परिस्थिति / पृष्ठभूमि):-

बच्चे का नाम :- करन 17 वर्ष
पिता का नाम :- स्व: श्री मदन लाल
माता का नाम :- स्व: श्रीमती रूद्रा देवी
स्थायी पता :- गाँव भाक्ति नगर गोपे"वर चमोली ।
वर्तमान पता :- गाँव भाक्ति नगर गोपे"वर चमोली ।

➤ **Distress situation/ circumstances (बच्चे की कठिनाई/पेशानी का विस्तार से ब्यौरा):-**

करन उम्र 17 वर्ष गाँव भाक्ति नगर गोपे"वर का रहने वाला है। करन ने कक्षा 5 वीं के बाद स्कूल नहीं पढ़ पाया। क्योंकि करन का पालन पोषण करन के मामा श्री सुरेन्द्र लाल व मामी ने करन की देख-रेख पालन पोषण करना छोड़ दिया। तथा करन अपने घर में अकेले रहते हैं। एवं करन अब अपना पालन पोषण मजदूरी करके करते हैं। तथा करन अर्जुन का सहारा कोई नहीं है। ना ही करन के पास कपड़े,बर्तन,गैस चूल्हा, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड न होने के कारण बच्चे अपनी पहचान नहीं करा पा रहे हैं। जिससे कि बच्चों को सरकार कि और मिलने वाले योजनाओं का लाभ नहीं पा रहा है। व बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर है। व दिन भर मजदूरी करके जो भी पैसा मिलता है। शाम को बच्चा उन रूपयों से खाना खाता है। करन की दिनचर्या रोज इसी प्रकार से चलती है।

➤ **Impact on Child(कठिनाई/पेशानी का बच्चे पर असर) :-** करन, घर में अकेलापन महसूस करते हैं। जिसमें बच्चों के माता पिता कि मृत्यु होने के कारण बच्चे ने पढ़ाई छोड़ कर मजदूरी करनी पड़ रही है। व अन्य बच्चों की तरह अपनी दिन चर्या नहीं कर पा रहे हैं जिस कारण भविष्य पर बच्चों का गलत असर पड़ रहा है।

➤ **Contact with CHILDLINE(बच्चा चाइल्डलाइन के संपर्क में कैसे आया?):**अजय ठाकुर गोपे"वर गाँव का रहने वाला है। एवं वह करन को भली-भाँती जानता है। अजय को पोस्टर के माध्यम से हिमाद समिति के चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 कि जानकारी मिली । तत् पश्चात अजय के द्वारा बच्चों के लिए चाइल्ड लाइन से मदद मांगी गई।

➤ **CHILDLINE intervention(चाइल्डलाइन द्वारा किया गया हस्तक्षेप):** चाइल्ड लाइन हिमाद समिति के सदस्य द्वारा कार्यक्रम समन्वयक से इस सम्बन्ध में वार्ता कि गई। जिसमें कार्यक्रम समन्वयक द्वारा यह सुझाव दिया गया कि केस को जिला बाल कल्याण समिती में रेफर करे। जिसमे कार्यक्रम समन्वयक द्वारा यह बताया गया कि ताकि बच्चों को जिला बाल कल्याण समिती के तहत बच्चों को फोस्टर केयर से लाभ दिला सके। जिसमें हिमाद समिति चाइल्ड लाइन काउन्सलर द्वारा बच्चों कि चाची का आय प्रमाण पत्र बनवाया गया। जिसमें वह 2000 रुपये का बनना था लेकिन चाची का आय के अनुसार आय प्रमाण पत्र 3000 रुपये का बन पाया। जिसमें हिमाद समिति के चाइल्ड लाइन काउन्सलर द्वारा प्रत्येक टीम सदस्यों एवं कार्यक्रम समन्वयक व अन्य लोगो से चन्दा इकठ्ठा करके बच्चों को बर्तन,कपड़े,फोन सिम कार्ड बच्चों कि पास फोटो व जन्म प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर नकल,राशन कार्ड बनवाया गया। साथ ही साथ कोविड19 के चलते लॉक डाउन में बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन द्वारा राशन व फूड सामग्री दी गई। एवं बच्चे के लिए गैस कनंक्सन हेतु आवेदन किया गया। साथ ही साथ हिमाद समिति चाइल्ड लाइन काउन्सलर द्वारा नगर पालिका अधिकारी से इस सम्बन्ध में वार्ता कि गई। जिसमें उनके द्वारा यह बताया दिया गया कि उन बच्चे को इन्द्रा आवास योजना का लाभ दिया जायेगा ।

➤ **CHILDLINE Impact (चाइल्डलाइन के हस्तक्षेप का बच्चा, उसके परिवार एवं वहाँ के परिवेश पर उसका असर):-** हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड लाइन सेवा 1098 के हस्तक्षेप से

बच्चे के रहन सहन पर काफी प्रभाव पडा है। जिससे कि बच्चे पहले बाल मजदूरी कर होटलो ढाबो में खाना खाता था। एवं हिमाद समिति के चाइल्ड लाइन सेवा 1098 के हस्तक्षेप से बच्चे घर पर ही बना रहे है। वही बालक के रि"तेदारो द्वारा कहा गया कि करन के द्वारा वर्तमान समय में बाल मजदूरी नहीं करता है। साथ ही उन्होने कहा कि हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड हेल्प लाइन के द्वारा बालक की सहायता हेतु जिस प्रकार की शीघ्रता दिखायी वह सराहनीय थी और भविष्य में किसी बच्चे की सहायता के लिए बच्चो के प्रति आशान्वित दिखी।



Distress situation/ circumstances

(बच्चे की कठिनाई/परे"ानी का विस्तार से ब्यौरा):हरेन्द्र सिंह,एवं सु"ीला ग्राम थिरपु जिला कालीकोट नेपाल के रहने वाले है। यह बच्चे कक्षा 3 एवं 2 से बच्चों स्कूल छोड दिया था । बच्चों की परे"ानी यह है कि वह पूरे दिन मजदूरी करते है। एवं कभी मजदूरी करने हेतु दूर-दूर गांवो में जाते है। जिसमें बच्चों को गर्मी और धूल मिट्टी से परे"ानी होती है। जिसके प"चात् भी बच्चों को मजबूरी में काम करना पडता है। व बच्चों को समय पर भोजन नहीं मिल पाता है। साथ ही बच्चों को सन्तुलित

आहार नहीं मिल पता है जिस कारण बच्चों की तबीयत बिगड जाती है। जिसमें हिमाद समिति गोपे"वर के चाइल्ड लाइन सदस्यों द्वारा बच्चों के परिजनों से वर्ता की गई जिसमें परिजनों द्वारा कहा गया की आर्थिक स्थिति दहनीय होने के कारण हम अपना घर छोड कर यहा आये हुए है। एवं मजदूरी कर बच्चों का लालन-पालन करते है।

- **Impact on Child(कठिनाई/परे"ानी का बच्चे पर असर) :-** बच्चों के द्वारा दिनभर मजदूरी की जाती है। व मजदूरी का पैसा समय पर नहीं मिल पाता है। जिसमें बच्चों को समय पर खाना नहीं मिल पाता है। व बच्चे मन मारकर मजदूरी करते है। एवं बच्चों को धूल-मिट्टी व तपती धूप में कार्या करते है। एवं जिसमें वह अन्य बच्चों की तरह अपनी दिनचर्या नहीं जी पाते है। जिसमें बच्चों द्वारा परिजनों से स्कूल जाने हेतू वर्ता की गयी जिसमें परिजनों द्वारा कहा गया की हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण हम यहाँ पर मजदूरी करने हेतू आये हुए है। जिसमें वर्तमान समय में पैसा ना होने के कारण पिता द्वारा बच्चों से कहा गया की हम आपका स्कूल में पंजीकरण करवाने मे असमर्थ है।
- **Contact with CHILDLINE(बच्चा चाइल्डलाइन के संपर्क में कैसे आया?):** हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड हेल्प लाइन सदस्यों द्वारा निकट सुभाष नगर गोपे"वर में आउटरीच संपर्क किया गया । इस दौरान देखा गया की महेन्द्र एवं सु"ीला को माता-पिता के साथ रोड पर पत्थर तोडने का कार्य किया जा रहा था। जिसमें बच्चों से वर्ता कर मामले का सज्ञान लिया गया।
- **Childline intervention(चाइल्डलाइन द्वारा किया गया हस्तक्षेप):** हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड लाइन सदस्यों द्वारा बच्चों से बात की गई जिसमें बच्चों द्वारा बताया गया की स्कूल की छुट्टीयों होने के कारण हम अपने माता-पिता के साथ यहा आये हुए है। एवं वर्तमान समय में माता पिता के साथ में रह रहे है। साथ ही हमारे द्वारा मजदूरी की जाती है। जिससे की हमारे पास रात के खाने के पैसे हो सके जिसमें हिमाद समिति गोपे"वर के चाइल्ड हेल्प लाइन द्वारा बच्चों के परिजनों से वर्ता की गई व कांसलिंग के माध्यम से उन्हें बताया गया कि बच्चों से बाल मजदूरी करवाना कानून अपराध है। जिसमें आपको 5 साल की जेल हो सकती है। साथ ही हिमाद समिति चाइल्ड लाइन सदस्यों द्वारा कहा गया की आपको बच्चों का स्कूल में पंजीयन कराये एवं बच्चों से इस प्रकार का काम ना करवाये। साथ ही ठेकेदार से भी वर्ता की गई जिसमें उन्हें कहा गया की बच्चों की मजदूरी का पैसा देकर उन्हें आज के बाद बच्चों से इस प्रकार के खतरनाक कार्य ना करवाये जाये। अन्यथा हमें बच्चों की जानकारी श्रम विभाग को देनी होगी जिससे की आप मुसीबत में पड सकते है। जिसमें ठेकेदार बताया गया कि बच्चों का मजदूरी का पैसा कल ही देकर उन्हें घर भेज दिया जायेगा। तथा भविष्य में किसी भी बच्चों को काम पर नहीं रखेगे इसके उपरान्त हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड लाइन सदस्यों द्वारा बालिका को जी0जी0 आई0सी0 नेग्वाड तथा बालक को रा0इ0का0 गोपे"वर में दोनों बच्चों का पंजीकरण करवाया गया । व साथ ही हिमाद

समिति गोपे"वर चाइल्ड लाइन सदस्यों द्वारा बच्चों को रा"न सामग्री दी गई व वर्तमान समय में चल रहे कोविड-19 के तहत बच्चों को मास्क-सेनेटाइजर एवं रा"न सामग्री दी गई व बच्चों से वर्ता की गई जिसमें बच्चों द्वारा बताया गया की स्कूल बन्द होने के कारण हम ऑनलाइन पढाई करते है। एवं हमारे द्वारा बाल मजदूरी नहीं की जाती है।

- **CHILDLINE Impact (चाइल्डलाइन के हस्तक्षेप का बच्चा, उसके परिवार एवं वहाँ के परिवेश पर उसका असर):-** हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड लाइन सेवा 1098 के हस्तक्षेप से बच्चे के रहन सहन पर काफी प्रभाव पडा है। जिससे कि बच्चे पहले बाल मजदूरी कर रहे थे व वर्तमान समय में अन्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे है। जैसे-खेलना-कूदना ,पढना, लिखना ,खाना,पीना, नहाना, धोना आदि एवं बच्चें घर पर ही रहते है वही बालक के पडोंसियों द्वारा कहा गया कि महेन्द्र व सु"गीला के द्वारा वर्तमान समय में बाल मजदूरी नही करते है। साथ ही उन्होने कहा कि हिमाद समिति गोपे"वर चाइल्ड हेल्प लाइन के द्वारा बालक की सहायता हेतु जिस प्रकार की शीघ्रता दिखायी वह सराहनीय थी और भविष्य में किसी भी बच्चे की मदद हेतु तत्पर तैयार रहेगी।